मैसर्स वण्डर मशीन सेण्ड़ प्रा. लि., फेल्सपार माईन्स, पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई दिनांक 24.09.2024 प्रातः 11.00 AM बजे, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, ग्राम– करमाल, तहसील–गिर्वा, जिला–उदयपुर

यह जनसुनवाई भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना (EIA Notification) दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 01.12.2009 के प्रावधानों के अनुरूप राजरथान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, उदयपुर के तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। उक्त जनसुनवाई के लिए नियमानुसार 30 दिवस पूर्व आम सूचना राष्ट्रीय समाचार पत्र द इण्ड़ियन एक्सप्रेस में दिनांक 22.08.2024 एवं दैनिक भास्कर में दिनांक 22.08.2024 को प्रकाशित करवा दी गई है।

यह जनसुनवाई **"मैसर्स वण्ड़र मशीन सेण्ड़ प्रा. लि."** द्वारा प्रस्तावित **फेल्सपार** खनन परियोजना (**एम. एल.न. 64/2005** (लीज क्षेत्र 4.98 हैक्टेयर) क्लस्टर के अन्तर्गत सभी खनन पट्टो को शामिल करते हुए कुल क्लस्टर क्षेत्र 9.8685 हैक्टेयर, प्रस्तावित कुल उत्पादन क्षमता 9,88,987 TPA (ROM) एवं प्रस्तावित फेल्सपार उत्पादन क्षमता 5,73,366 TPA निकट ग्राम–करमाल, तहसील–गिर्वा, जिला–उदयपुर स्थित प्रस्तावित परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् आयोजित की गई है। प्रस्तावित परियोजना की लागत लगभग रू. 2.80/– करोड़ है।

अतः उद्योग के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा परियोजना के बारे में जो जानकारी दी जावेगी उसे ध्यानपूर्वक सुन तत्पश्चात् आपको यदि इसके बाबत् कोई सुझाव/शिकायत हो तो कृपया सबसे पहले अपना परिचय दें जिसमें आप अपना नाम तथा गांव का नाम बताए साथ ही अपना सुझाव/शिकायत जो भी हो लिखित अथवा मौखिक जैसा आप उचित समझें हमें दे सकते हैं।

इस जनसुवाई के दौरान आप द्वारा जो भी सुझाव/शिकायत की जावेगी चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो उसे हम कलमबद्ध करेंगे तथा जनसुनवाई की कार्यवाही की विडियोग्राफी भी ली जा रही है। इसकी सी.डी./डी.वी.डी. के अनुरूप कार्यवृत तैयार किए जायेंगे जिसको राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA), जयपुर को प्रेषित करेंगे क्योंकि इस इकाई को सन्दर्भ की शर्त (TOR) दिनांक 06.12.2023 को इस कमेटी द्वारा जारी की है एवं उसमें वर्णित समस्त शर्तों की उद्योग द्वारा पालना की जा रही है या की जायेगी जिसकी संपूर्णता सुक्षमता से जांच कर पर्यावरण स्वीकृति पत्र जारी करने की कार्यवाही करेंगे।

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

लोक जन सुनवाई में उपस्थित क्षेत्र के पधारे हुए उधोग मालिक, ग्रामीण एवं जन प्रतिनिधि सदस्यों की सूची (परिशिष्ठ "अ" में सलंग्न) है।

उपरोक्त के पश्चात इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा उक्त इकाई के संबन्ध में तैयार की गई ई.आइ.ई रिपोर्ट संबंधित बनायी गयी कार्यकारी सारांश/ई.आई.ए. की विस्तृत जानकारी दी गई जो की संलग्नक ''ब''के अनुसार है।

श्री शरद सक्सेना क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, उदयपुर ने उपस्थित जनसमुदाय को बताया कि आपके द्वारा दिये गये सुझावों एवं आक्षेपो को जनसुनवाई के कार्यवृत में शामिल किया जावेगा तथा कार्यवाही विवरण की वीडियो, रिकॉर्डिंग सी.डी (परिशिष्ठ "स" में सलंग्न) एवं फोटोग्राफ (परिशिष्ठ "द" में सलंग्न) के साथ उन्हें राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जयपुर के समक्ष प्रेषित किया जावेगा।

अतः कार्यकारी सारांश/ई.आई.ए. की विस्तृत जानकारी के पश्चात श्री शरद सक्सेना क्षेत्रीय अधिकारी रा.प्र.नि.म. उदयपुर द्वारा उपस्थित आमजन को अपने आक्षेप, सुझाव, शिकायते रखने हेतु आंमत्रित किया गया जो कि निम्नानुसार हैः—

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :—

आपकी जो भी प्रश्न।

विकास कुमार मीणा— ग्रामीण :—

क्षेत्रीय विकास अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी एवं मैडम को नमस्कार। मैडम मेरा ये निवेदन है कि ये श्रीमती कविता मेवाडा एवं विमला देवी के नाम से माईन्स है उनकी चार दिवारी नही होने के कारण 16 तारीख को वो एक खनन करके चले गये छोडकर। जिससे एक गाय गिर गई और मृत्यु हो गई और माईन्स वालो से बात कर रहे है वो कह रहे है कि देखेंगे आयेंगे। अभी तक नही आये और उसको मुआवजा भी नही दिया।

श्रीमती रिया ड़ाबी मेडम, उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, गिर्वा, उदयपुर :—

ये मायदा वालो ने कोई बैल को निकाल दिया था सुबह ही।

विकास कुमार मीणाः—

जी निकाल दिया था। और गांय की मृत्यु हो गई।

श्रीमती रिया ड़ाबी मेडम, उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, गिर्वा, उदयपुर :—

मृत्यु हो गई।

विकास कुमार मीणाः—

जी।

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

श्रीमती रिया ड़ाबी मेडम, उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, गिर्वा, उदयपुर :–

चलो मे दिखवाती हुं।

विकास कुमार मीणाः–

खनन करके छोडकर चले गये ना चारो दिवारी हे उनकी।

श्रीमती रिया ड़ाबी मेडम, उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, गिर्वा, उदयपुर :–

चलो वो अलग मेटर हे आप सुनवाई का बताओ।

पट्टे लेने की बात हो रही है। उसमें किसी को कुछ बताना है तो वो बताइये? वो मे अलग ये तहसीलदार से बात करूंगी।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

जो भी आना चाहे आ सकते है।

श्री रमेश – ग्रामीण :–

यहा माईन्स होने से पुरा फसल खराब हो रहा है, रास्ते भी खराब हो गया है और बच्चे स्कूल भी नही जा पा रहे है यहा जो ब्लास्ट करते हे उससे घरो मे तड आ रही है, परेशानी बोलने जाते है तो कहते है कि हां कर देंगे करते नही है।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

आपका नाम

रमेश

आपकी माईन्स चल रही है क्या अभी।

श्री रमेश – ग्रामीण :–

और गाय गिर गईपूरे दिन उनको फोन किया 5 फिट गहरा खड्डा है, हम लोग कुआं बनाने के लिए रखा है। आज वो गाय गिर गई है, बच्चा गिरेगा तो कौन जिम्मेदारी लेगा?

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

कौन से माईन्स की बात कर रहे हैं आप? ये पास में।

श्रीमती रिया ड़ाबी मेडम, उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, गिर्वा, उदयपुर :–

मायदा वाली माइंस।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

आपकी समस्याये बोल सकते है?

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

श्रीमती रिया ड़ाबी मेडम, उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, गिर्वा, उदयपुर :–

ठीक है ये मैं ले लेती हूं।बाकी कोई उपस्थित है यहाँ पर जो बोलना चाहते है?

आप आगे आकर बोलिये हमें सुनाई नही दे रहा क्या बोल रहे है?

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

माईक मे आ कर बोलिये।

श्रीमती रिया ड़ाबी मेडम, उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, गिर्वा, उदयपुर :–

ये जनसुनवाई इसलिये रखी गई है कि आपको अपनी जानकारी के लिये कि ये प्रस्ताव है जैसा कि अभी सर ने बताया मैडम ने भी बताया और अब आपके जो भी रूल्स है वो आप बताइये फिर हम उसको स्टेट लेवल पर ले जायेंगे और डिस्कशन करेंगे और वहां पर भी रखेंगे। अभी इस पर कोई निर्णय नही लिया जा रहा है। आपकी बात सुनने के लिये। आगे आकर बताइये। ये विडियो रिकॉडिंग हो रही है। फिर वो पीछे से बोलेंगे तो विडियों रिकॉडिंग नही होगी।

श्री किशन लाल लौहार :–

माईन्स चली थी बोले हम जमीन लेवल ही करेंगे औरसौ फिट अंदर खड़डा चला गया। सौ क्या डेढ सौ फिट।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

ये कौन सी माईन्स है।

ग्रामीण–

ये दिनेश नाथ एवं शंकर लाल डांगी। कोई भी दिवार नही है। गांव का तालाब खुदा हुआ है। उसके अंदर भी मिट्टी डालकर उसको भी समा कर दिया। और पास में घर है हमारे पथ्थर जा रहे है खेत में और खेत में गंदा पानी जा रहा है। अभी पानी निकला रहे है वो पानी हमारे खेतो में जा रहा है।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

कोई आपने लिखित में दिया है अभी तक?

ग्रामीण :–

लिखित में दिया अभी।

आपका नाम क्या है?

किशन लाल लौहार

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

और जो भी समस्या है यहाँ पर यहाँ आकर बोल सकता है।

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

प्रोजेक्ट प्रोपेन्ट :–

वंडर वाली माईन्स अभी बंद है। जब भी चालु करेंगे हम माईन्स के अंदर ही करेंगे और ताडबन्दी वगेरह सब करके ही करेंगे।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

और भी जो बोलना चाहे आकर यहाँ पर बोल सकता है।

श्री किशन लौहार ग्रामीण :–

आ ही नही रहे फोन करके परेशान हो गए, 25000/– की गाय मर गई जिसके छोटे–छोटे बच्चे है।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

ये कौन सी माईन्स है।

ग्रामीणः–

मायदा वाली माईन्स ।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

और भी कोई बोलना चाहे बोल सकता है इसकी विडियों रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी समस्या सारी रिकॉर्ड हो रही है।

ये इस माईन्स के प्रपोनेंट कौन है? आप है।

प्रोजेक्ट प्रोपेन्ट :–

ये बोला कि माईन्स तो अभी बंद है। चालु करेंगे तो माईनिंग एरिये में ही करेंगे। एवं जब भी करेंगे तो तालाबबंदी करके ही।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

पोण्ड आपकी माईन्स से कितना दूर है। तालाब की बात कर रहे है।

प्रोजेक्ट प्रोपेन्ट :–

नही तालाब अपने पास कोई नही? ये पीछे वो दिनेश डांगी है वो।

श्री महेन्द्र पाल सिंह–

माईन्स चलायेंगे वो कार्य करेंगे तो हम नही करने देंगे और हमारे वो माईनिंग विभाग में सौ बिगा का एक मंगरा है। गांव के बीच में माईनिंग। जो आपकी भी है और दूसरे की भी है। वो हम समस्त ग्रामवासी वन विभाग को स्वीकृत करवाने के लिये हम मंजूर है इसलिये माईनिंग वालो को नही

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

चलने देंगे। समस्त ग्रामवासी का ये आक्रोश है और गांव में ये माईनिंग विभाग खेडामंगरा माईन्स है वो नही चलने देंगे।

आपका शुभ नाम।

मेरा नाम महेन्द्र पाल सिंह

प्रोजेक्ट प्रोपेन्टः—

और भी कुछ कहना चाहेगे।

ग्रामीणः——

जो भी आते है यहाँ पर तो बोलते जाते है कि नही आयेंगे और हमारा घर बाजू में ही है।

सब रे बाद में बस्ती है। अब दो बस्ती बीच में माईन्स है तो अब माईन्स वाले बोले की हमने तो पैसे खर्च किये हम तो लिज में चला रहे है। अब लिज कहां से हुई हम पटवारी थोडी जो हगको थोडी पता है कि यहाँ तक लिज है। लिज के बाहर खोदे लिज के अन्दर खेदे तो आपने पतो थोडी है।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :—

लिज के वहाँ बाउण्ड्री है वो नही है।

ग्रामीणः—

कोई बाउण्ड्री नही है।

हम बोले सेठजी को कि सेठजी यहाँ पत्थर आ रहे हैं। तो सेठजी बोले कि हमारी लिज है।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :—

ये ब्लास्टिंग कितने टाईम तक करते है?

ग्रामीणः—

कोई टाईम नही है।

जंगल मे लीस होना चाहीए दुर लीज होना चाहीए जहा बस्ती बसी हो पहले वो बस्ती वाले कहा जाएंगे। पानी टुट गया हेण्डपम्प टुट गया करेंगे क्या फिर बस्ती वाले।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :—

और कोई कुछ बोलना चाहेगे?

श्रीमती रिया ड़ाबी मेडम, उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, गिर्वा, उदयपुर :—

ये जो जनसुनवाई यहाँ रखी गई है। वो इसलिये रखी गई है जिससे हम इस प्रखेट के बारे में आपको बतावे। आपकी जो भी समस्याएं है वो आप हमे बताये। आपने जैसे लिखित में भी दे दिया है। तो मैं ये बात ऊपर भी रखूंगी। और आपने जो अभी मायदा माईन्स चली थी की बात रखी थी जिसमे बैल गिरी थी तो मे आज ही अभी तहसीलदार कुराबड को वहा मोके पर भेजती हुं ओर हमने उसमे

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

प्रयास भी काफी किया था उसको निकालने का पर निकाला तो उसकी मृत्यु हो गई तो खेद का विषय है तहसीलदार कुराबड को वहा अभी भेजती हुं। और बाकी कुछ इस जनसुनवाई से रिलेटेड किसी को और भी कुछ बोलना हो किसी को लिखित में देना हो तो वो दे सकते है। और ये हम जयपुर भी भेजेंगे सारी बाते इसलिये विडियों रिकॉडिंग हुई हे उसके बाद ही इस केस पर निर्णय होगा।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

और अभी कोई बात करना चाहता है? इसके अलावा जो बात हो चुकी है उसके अलावा कोई और बात। ठीक है धन्यवाद आप सभी का आप सब पधारे। जय हिन्द।

श्री शरद सक्सेना क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, उदयपुर ने उपस्थित जनसमुदाय को बताया कि आपके द्वारा दिये गये सुझावों एवं आक्षेपो को जनसुनवाई के कार्यवृत में शामिल किया जावेगा तथा कार्यवाही विवरण की वीडियो, रिकॉर्डिंग सी.डी (**परिशिष्ठ "स"** में सलंग्न) एवं फोटोग्राफ (**परिशिष्ठ "द"** में सलंग्न) के साथ उन्हें राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जयपुर के समक्ष प्रेषित किया जावेगा। इसके बाद क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने सहायक कलक्टर, (फास्ट ट्रेक), गिर्वा, उदयपुर को इस जनसुनवाई को समाप्त करने हेतु निवेदन किया तत्पश्चात जनसुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।

(रिया डाबी)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गिर्वा
जिला–उदयपुर
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

(शरद सक्सेना)
क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षे.का.,रा.प्र.नि.म., उदयपुर
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

मैसर्स वण्डर मशीन सेण्ड प्रा. लि., फेल्सपार (एम.एल.न. 64/2005, क्षैत्रफल– 4.98 हैक्टेयर) प्रस्तावित कुल उत्पादन क्षमता 9,88,987 **TPA (ROM)** एवं प्रस्तावित्त फेल्सपार उत्पादन क्षमता 5,73,366 **TPA** निकट ग्राम–करमाल, तहसील–गिर्वा, जिला–उदयपुर पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई बाबत् दिनांक 24.09.2024 को प्रातः 11.00 **AM** बजे, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, ग्राम–करमाल, तहसील–गिर्वा, जिला–उदयपुर में आयोजित जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारी एवं स्थानीय नागरिकगणः–

क.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1	RIA DABI (IAS)	SDM GIRWA	[signature]
2	Sharad Saksena	RO RSPCB Udaipur	[signature]
3	C.P. Jeengar	RPCB Uds	[signature]
4			
5			
6.	भावना प्रजापत	Karmal (Patwari)	[signature]
	शिवसिंह	करमाल	शिवसिंह
	रामलाल गुर्जर	करमाल	रामलाल
	प्रकाश कुमार मीणा	रावतपुरा	[signature]
	Vinod Gada	Director Wonder Machine Sand P. Ltd	[signature]
	मोहनसिंह	करमाल	मोहनसिंह
	महेन्द्र पालीवाल	महेन्द्र उपसरपंच प्रतिनिधि	
	[illegible]राम	करमाल	
	नाना		
	नरेन्द्र सिंह		
	मोती		
	भगवतसिंह	करमाल	[signature]
	मोडसिंह	करमाल	मोडसिंह
	भैरूलाल	करमाल	
	हिरालाल जी	करमाल	गणेश
	[illegible]	करमाल	

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
	खेमराज जी	करमाल	[illegible]
	नानूलाल	करमाल	
	जगदीश	करमाल	रतन
	रतनलाल	करमाल	
	ममसिंह	करमाल	
	केशुलाल मीणा	करमाल	
	शंकर	शंकर	
		ऊपरिदलाल	
	देवीलाल मीणा	गाव करमाल	देवीलाल
	Dal Chand Dangi	CRIPC Udaipur	DC
	SANJAY PARAKH		[signature]

dicature for Rajasthan at Jaipur

Writ Petition No./2024
oordinator Pre. D.El.Ed. 2024
eer Open University,Kota, Rajasthan
rule 159 Of Rajasthan High Court Rules
For entering into caveat
ORDSHIPS

cants wants to appear into caveat under rule 159 of Rajasthan
ing be done till the applicants are heard in the matter.
rit petition are likely to be filed are given below:
be filed by following person:

ly to filed against-
. D.El.Ed. 2024, Vardhman Mahaveer Open University, Kota, Rajasthan.
B. writ petition is to be filed challenging the notifications and terms
e in of Pre. D.El.Ed. Exam 2024
ALATNAMA on behalf of coordinator Pre. D.El.Ed. 2024 Vardhman
pen University, Kota, Rajasthan, is submitted herewith.
umbly prayed that nothing be done in the case till the applicants are heard.

Humble Applicants
Through counsel

Anita Aggarwal/Laxmikant
Mob. No. .... gkgarg2004@hotmail.com

MBM UNIVERSITY, JODHPUR
एम बी एम विश्वविद्यालय, जोधपुर

No. MBMU/Store/2024-25/354 **OPEN TENDER** Dated : 20.08.2024

Online bids for Service of Mess Running in Girls Hostel Nos. 6, 13 and SC/ST, Cleaning and Sanitation of Hostel Campus as well as Academic Campus (North and South) are invited from interested bidders from 21.08.2024, 05:00 PM. Other particulars of the bids may be visited on the procurement portal eproc.rajasthan.gov.in, sppp.rajasthan.gov.in and www.mbm.ac.in

S.No.	Particulars	UBN No.	End Date
1.	Mess running services in Girls Hostel Nos. 6, 13 and SC/ST	MBM2425SL RC00027	09.09.2024
2.	Cleaning and Sanitation of Hostel Campus	MBM2425SL RC00028	31.08.2024
3.	Cleaning and Sanitation of University Academic Campus (North and South)	MBM2425SL RC00029	31.08.2024

Store-in-Charge

कार्यालय ग्राम पंचायत मेहन्दुरिया
चायत समिति रेलमगरा, जिला राजसमन्द

ग्रा.प. /निविदा/2024-25/18 दिनांकः 21-8-2024

निविदा सूचना

मिति रेलमगरा के अधीनस्थ ग्राम पंचायत मेहन्दुरिया के द्वारा वित्तीय वर्ष 5 में महात्मा गांधी नरेगा में निर्माण सामग्री आपूर्ति कार्य एवं अन्य मद हेतु चना क्रमांक 14 दिनांक 16.08.2024 अनुसार राजस्थान पंचायती राज 1996 के नियम 181 के तहत पंचायती राज विभाग एंव राज्य सरकार के गठनो में पंजीकृत सक्षम श्रेणी के संवेदको से कार्य हेतु निर्धारित प्रपत्र में न्ट प्रक्रिया से वेब साईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर ऑन दाएं आमन्त्रित की जाती हैं। उक्त निविदा सूचना का कार्यवार विवरण र्तों www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखी एवं Download कर सकती हैं।

R2425A0182 UBN-ZRR2425GLOB00337

सरपंच
ायत मेहन्दुरिया

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत मेहन्दुरिया

भीम LiFE

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एफः 470, यू.सी.सी.आई. भवन के पास, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी, उदयपुर (राज.)
ई-मेलः rorpcbudaipur@gmail.com फोन नं.: 0294-2491269

पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

विषयः- मैसर्स हिन्दुस्तान मिनरल ट्रांजेक्शन, एम.एल.न. 36/1980 (क्षेत्रफल 112.50 हैक्टेयर) "फेल्सपार", ग्राम-तेजा का वास, तहसील-कोटड़ा, जिला-उदयपुर हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स हिन्दुस्तान मिनरल ट्रांजेक्शन एम.एल.न. 36/1980 (क्षेत्रफल 112.50 हैक्टेयर) "फेल्सपार" ग्राम-तेजा का वास, तहसील-कोटड़ा, जिला-उदयपुर प्रस्तावित परियोजना फेल्सपार माईन (एम.एल.न. 36/1980, क्षेत्रफल 112.50 हैक्टेयर) उत्पादन परियोजना क्षमता 128322 टन प्रतिवर्ष (रोम) का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बाबत आवेदन किया गया है।

2. और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3. उक्त परियोजना से सबन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध है:- 1) कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर। 2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय-4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। 3) क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए-216, अरन्य भवन संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर। 4) क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, 5वां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.)। 5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर। 6) उपखण्ड अधिकारी, तहसील-कोटड़ा, जिला-उदयपुर। 7) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितिय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर। 8) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ-470, मेवाड औद्योगिक क्षेत्र, मादडी उदयपुर (राज.)।

अतः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई दिनांक 25.09.2024 (बुधवार) को प्रातः 11:00 बजे, राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम-तेजा का वास, तहसील-कोटड़ा, जिला-उदयपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव/आक्षेप कोविड-19 कोरोना महामारी को ध्यान में एवं सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण, मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर में भी प्रस्तुत किये जा सकते है।

क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय ग्राम पंचायत खेरोदा, पंचायत समिति भीण्डर, जिला उदयपुर (राज.)

ग्रापं. खेरोदा/2024-25/42

दिनांक : 7.8.2024

बापी पट्टों के लिए आपत्ति आमंत्रण सूचना

रण को सूचित किया जाता है कि निम्न आवेदकों ने अपने पुराने गृहों के विनियमितिकरण के नियम 157 (i) के तहत पंचायतों में आवेदन किया है। अतः 8 के तहत आपत्ति आह्वान पत्र जारी कर सूचना दी जाती है कि 30 दिवस के अन्दर जिस किसी को आस पड़ौस, भाई बन्धु, व्यक्ति विशेष को किसी भी आपत्ति हो तो ग्राम पंचायत खेरोदा कार्यालय समय में लिखित रूप से मय कारण दस्तावेज एवं साक्ष्य के साथ आपत्ति पेश करें, बाद मियाद किसी प्रकार की वीकार नहीं की जाएगी।

लाभार्थी का नाम	जाति	ग्राम	पड़ौस का विवरण			
			उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
मांगीदास/मोहनदास	वैष्णव	संग्रामपुरा	रामचन्द्र जाट का मकान	जसराज जाट का मकान	आम रास्ता	
सुनीता/शंकरलाल	प्रजापत	खेरोदा	किशनलाल प्रजापत की दुकान	किशनलाल प्रजापत का मकान	शंकरलाल प्रजापत का मकान	रामचन्द्र जाट का खेत सड़क
शंकरलाल/मोहनलाल	प्रजापत	खेरोदा	सड़क	किशनलाल प्रजापत का मकान	मीठालाल प्रजापत का मकान	सुनीता प्रजापत का मकान
राकेश मेहता व हरिश मेहता पिता शंकरलाल मेहता	जैन	खेरोदा	शंकरलाल मेहता का बापी पट्टा संख्या 18854 जारी क्रमांक 04/11/2009 का नामान्तरण पुत्र राकेश मेहता व हरिश मेहता के नाम खुलवाने हेतु			

आवेदक किसी विवादित स्थल, गलत दस्तावेज प्रस्तुत कर व पूर्व में निर्मित पट्टों के संबंध में तथ्य छिपाते हुए पट्टा जारी करवाता है तो समस्त जिम्मेदारी क की रहेगी।

सरपंच
ग्राम पंचायत खेरोदा
पंचायत समिति भीण्डर

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत खेरोदा
पंचायत समिति भीण्डर

हॉस्पिटल में घायल का उपचार करती चिकित्साकर्मी।

भास्कर न्यूज़ | सेमारी

सेमारी थाना क्षेत्र के लिम्बड़ी गांव में एक नवनिर्माणाधीन मकान की छत पर पत्थर की पट्टियां चढ़ाते समय एक पट्टी के टूटने से तीन मजदूर घायल हो गए। जिनका सेमारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार करने के बाद एक मजदूर को उदयपुर रैफर किया गया। जानकारी अनुसार उक्त घटना में घटेड़ निवासी मजदूर लक्ष्मण पुत्र खेता मीणा 25, गणेश पुत्र कालू मीणा 28, मोहन पुत्र नारायण मीणा 22 घायल हुए, जिसमें लक्ष्मण के सीने में गंभीर चोट लगने की वजह से उदयपुर रैफर किया गया। गणेश के बाएं हाथ में व मोहन के सिर में मामूली चोट लगी।

सिंह ने बताया कि रजा नगर निवासी रमेश बैरवा (44) बुधवार को सुबह अपने भानजे से शादी के जेवर बनाने के लिए पैसे मंगवाए। भानजे ने घर से एक लाख रुपए लेकर उन्हें दिए। इस दौरान उनके बड़े भाई

परिजन उन्हें एमबी हॉ... पहुंचे, जहां डॉक्टर ने मृ... दिया। नारायणलाल ... कार्रवाई करने से इनकार ... इस पर पुलिस ने पोस्टमार्टम ... बिना शव परिजनों को सौंप दिया।

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एफः 470. यू.सी.सी.आई. भवन के पास, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादडी, उदयपुर (राज.)

ई-मेलः rorpcbudaipur@gmail.com फोन नं.: 0294-2491269

पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

विषयः- मैसर्स वंडर मशीन सेण्ड प्रा.लि., एम.एल.न. 64/2005 (क्षेत्रफल 4.98 हैक्टेयर) "फैल्डसपार", ग्राम-करमाल, तहसील-गिर्वा, जिला-उदयपुर हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स वंडर मशीन सेण्ड प्रा.लि., एम.एल.न. 64/2005 (क्षेत्रफल 4.98 हैक्टेयर) "फैल्डसपार", ग्राम-करमाल, तहसील-गिर्वा, जिला-उदयपुर प्रस्तावित परियोजना फैल्डसपार माईन (एम.एल.न. 64/2005, क्षेत्रफल 4.98 हैक्टेयर) उत्पादन परियोजना क्षमता 5,73,366 टन प्रतिवर्ष (रोम) का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बाबत आवेदन किया गया है।

2. और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3. उक्त परियोजना से सबन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध है:- 1) कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर। 2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय-4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। 3) क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए-216, अरन्य भवन संस्थानिक क्षेत्र झालाना डुंगरी, जयपुर। 4) क्षेत्रीय कार्यालय वन एंव पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, 5वां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.)। 5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर। 6) उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, जिला-उदयपुर। 7) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितिय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर। 8) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ-470, मेवाड औद्योगिक क्षेत्र, मादडी उदयपुर (राज.)।

अतः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई दिनांक 24.09.2024 (मंगलवार) को प्रातः 11:00 बजे, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, ग्राम-करमाल, तहसील-गिर्वा, जिला-उदयपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव / आक्षेप कोविड-19 कोरोना महामारी को ध्यान में एवं सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण, मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर में भी प्रस्तुत किये जा सकते है।

क्षैत्रीय अधिकारी

शराब के पैसे नहीं दिए पड़ोसी को पीटा, केस

उदयपुर| सुखेर थाना क्षेत्र में शराब के लिए पैसे नहीं देने पर पड़ोसी युवक से मारपीट की।

पुलिस के अनुसार मीरानगर निवासी विशाल साहु ने रिपोर्ट दी कि गत 20 अगस्त की शाम 6 बजे घर के पास ही मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे। रास्ते में पड़ोसी लक्ष्मण गमेती ने दो साथियों के साथ आकर उन्हें रोका। फिर शराब के लिए पैसे मांगे। नहीं देने पर आरोपियों ने उनके साथ बेल्ट से मारपीट की। जिससे वह घायल हो गए। इसके बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

सवारी के लिए झगड़े ऑटो चालक, मुकदमा

उदयपुर| सूरजपोल थाना क्षेत्र में सवारी बैठाने को लेकर एक ऑटो चालक ने दूसरे को पीट दिया।

पुलिस के अनुसार तीतरड़ी निवासी राजू बंजारा ने रिपोर्ट दी कि गत 20 अगस्त को वह ऑटो में सूरजपोल की तरफ सवारियां ले जा रहे थे। दूसरे ऑटो चालक सोयल ने सवारी बैठाने को लेकर गाली-गलौज कर मारपीट की। आरोपी हत्या की धमकी देकर भाग गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय

संसद के अधिनियम संख्या 25 (2009) के तहत स्थापित

नैक 'ए+' ग्रेड विश्वविद्यालय

एन.आई.आर.एफ. रैंकिंग में पिछले छह वर्षों से लगातार भारत के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में शामिल; एन.आई.आर.एफ. 2024 (विश्वविद्यालय श्रेणी) में 83वीं रैंक

विज्ञापन संख्या: सीयूपीबी/विज्ञापन/24-25/04

दिनांक: 20/08/2024

सर्टिफिकेट/पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश-2024 के लिए सूचना

शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए निम्नलिखित सर्टिफिकेट/पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), बठिंडा द्वारा संयुक्त रूप से संचालित पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम

'ए.आई. इन डिजिटल इमेजिंग एंड हेल्थकेयर डाटा'

पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय और एम.आर.एस. पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय, बठिंडा द्वारा संयुक्त रूप से संचालित पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम

'इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स'

पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रम

पीजी डिप्लोमा इन हिंदी ट्रांसलेशन	सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन फ्रेंच
डिप्लोमा इन वैदिक मैथेमेटिक्स	सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन पंजाबी ट्रांसलेशन
पीजी डिप्लोमा इन डाटा साइंसेज़ फॉर बायोइन्फॉर्मेटिक्स	सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन न्यूरल नेटवर्क एंड डीप लर्निंग
पीजी डिप्लोमा इन जिओइन्फॉर्मेटिक्स (पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर (पीआरएससी) लुधियाना के सहयोग से)	सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्प्यूटेशनल लिंगुइस्टिक्स

विस्तृत प्रॉस्पेक्टस और ऑनलाइन आवेदन के लिए कृपया विश्वविद्यालय की वेबसाइट देखें: https://cup.edu.in/certificate_diploma.php

आवेदन करने की अंतिम तिथि: 5 सितंबर, 2024

परीक्षा नियंत्रक

ग्राम घुद्दा, जिला बठिंडा, पंजाब -151401; ई-मेल: admissions@cup.edu.in